सं.यू-16011/1/2020-ओएंडएम

भारत सरकार

उपभोक्ता मामले खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय उपभोक्ता मामले विभाग

जी एंड एच-विंग, कृषि भवन, नई दिल्ली दिनांक – 14 सितंबर, 2021

आदेश

सूचना का अधिकार अधिनियम (2005) की धारा 5(1), 5(2) और 19(1) में निहित प्रावधानों के अनुसार उपभोक्ता मामले विभाग के निम्नलिखित अधिकारियों को उनके नामों के सम्मुख उल्लिखित विशिष्ट अनुभागों/डस्कों के संबंध में केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी (सीपीआईओ) और प्रथम अपीलीय प्राधिकारी (एफएए) नामोदिष्ट किया गया है।

नामोद्दिष्ट केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी (सीपीआईओ) और अपीलीय

क्रम संख्या	सीपीआईओ नाम/ पदनाम	प्रभाग/डेस्क/ यूनिट/अनुभाग	प्रथम अपीलीय प्राधिकारी नाम/पदनाम
2.	श्री ए एस रावत, अवर सचिव	सीडब्ल्यूएफ	श्री. सुरेन्द्र सिंह, निदेशक
3.	श्री टीटीके मुआन, अवर सचिव	रोकड़	श्री सिया शरण, सीसीए
4.	श्री पी एस ठाकुर, अवर सचिव	सहकारिता	श्री डी.के. सोनकर, निदेशक
5.	श्री ए के पाण्डेय, अवर सचिव	सामान्य अनुभाग	श्री डी.के. सोनकर, उप सचिव
6.	श्रीमती जयलक्ष्मी कन्नन, अवर सचिव	सतर्कता	रिक्त
7.	श्रीमती जयलक्ष्मी कन्नन, अवर सचिव	स्थापना	श्री आलोक कुमार वर्मा, निदेशक
8.	श्रीमती जसबीर तिवारी, अवर सचिव	संसद और समन्वय	श्री डी.के. सोनकर, उप सचिव
9.	श्री पी के त्यागी, अवर सचिव	बीआईएस	श्री धर्मेश मकवाना, निदेशक
10.	श्रीमती जयश्री नारायणन, अवर सचिव	सीपीयू/एनसीएच	श्री सीता राम मीना, निदेशक
11.	श्री एस के मिश्रा, अवर सचिव	आंतरिक वित्त और बजट	श्री एस के प्रसाद, उप सचिव
12.	श्री मनोज कुमार नायक,	विधिक मापविज्ञान/बाट और	श्री बी एन दीक्षित, निदेशक

	उप निदेशक	माप	
13.	श्री चरनजीत गुलाटी, अवर सचिव	प्रतीक और नाम	श्री सीता राम मीना, निदेशक
14.	श्री चरनजीत गुलाटी, अवर सचिव	लोक शिकायत	श्री. सुरेन्द्र सिंह, निदेशक
15.	श्री बाल कृष्ण ठाकुर, अवर सचिव	प्रचार	श्री आलोक कुमार वर्मा, निदेशक
16.	श्री पी के त्यागी, अवर सचिव	प्रत्यक्ष बिक्री	श्री. सुरेन्द्र सिंह, निदेशक
17.	श्री पी एस ठाकुर, अवर सचिव	राष्ट्रीय परीक्षण शाला	श्री धर्मेश मकवाना, निदेशक
18.	श्री सतिंदर कुमार, उप निदेशक	मूल्य निगरानी प्रभाग	श्री सुभाष चन्द्र मीना, निदेशक
19.	श्री अशोक कुमार, सहायक निदेशक	राजभाषा	डॉ. कामकेनथाँग गुइटे, आर्थिक सलाहकार
20.	श्री पी के त्यागी, अवर सचिव	अंतर्राष्ट्रीय सहयोग	श्री धर्मेश मकवाना, निदेशक
21.	श्री पी के त्यागी, अवर सचिव	केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण (सीसीपीए)	श्री सीता राम मीना, निदेशक

किसी सीपीआईओ के तीन दिन से अधिक अवधि के लिए छुट्टी पर रहने या पद रिक्त होने पर उसका आसन्न उच्च अधिकारी इस प्रकार की अनुपस्थित के दौरान सीपीआई के कार्यभार का निष्पादन करेगा तथा तहुसार ऐसे मामलों में अपील अगले उच्च प्राधिकारी को अलग-अलग स्वत: चली जाएगी। प्रथम अपीलीय अधिकारी के एक सप्ताह या इससे अधिक समय तक अनुपस्थित रहने के मामले में, उस अवधि विशेष दौरान के दौरान नियमित पदधारी के कार्य को देखने वाला लिंक अधिकारी, अपीलीय प्राधिकारी के रूप में काम करेगा।

(डी.के. सोनकर) उप सचिव, भारत सरकार दूरभाष – 23386210

उपरोक्त सूची के अनुसार सभी सीपीआईओ और अपीलीय प्राधिकारी

प्रति:

- 1. सचिव (उ.मा.) के पीएसओ/ अपर सचिव (उ.मा.) के वरिष्ठ पीपीएस/ संयुक्त सचिव (उ.मा.) के पीपीएस/ संयुक्त सचिव (वीएम) के पीपीएस/ आर्थिक सलाहकार के पीएस।
- 2. उपभोक्ता मामले विभाग के सभी अधिकारी/ अनुभाग > ई-ऑफिस केएमएस
- 3. निदेशक (आई.आर.), कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली
- 4. रजिस्ट्रार, केन्द्रीय सूचना आयोग, सीआईसी भवन, बाबा गंगा नाथ मार्ग, मुनिरका, नई दिल्ली

5. एनआईसी, कंमरा संख्या 564 बी, कृषि भवन, सूचनार्थ/ आवश्यक कार्रवाई हेतु।

(डी.के. सोनकर) उप सचिव, भारत सरकार

दूरभाष - 23386210